अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–28B के कि0मी0 26.00 से 30.00 में IRQP कार्य के निविदा वर्ष 2013–15 जो दिनांक 07.03.2014 को प्राप्त की गई थी, में संवेदक संजीव कुमार द्विवेदी को निविदा के साथ Upload किये गये ग्रामीण कार्य प्रमंडल मोतिहारी का पत्रांक 1948 दिनांक 19.11.2013 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र Tempered होने के आरोप में विभागीय आदेश ज्ञापांक 41(ई०) दिनांक 02.01.2019 द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किया गया था।

संवेदक को कालीकृत किये जाने के पूर्व विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, रा० उ० प० उपभाग से संवेदक द्वारा निविदा के दौरान Uploaded अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति के साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति की मांग की गई थी। उक्त के क्रम में कार्यपालक अभियंता रा० उ० प० प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा यह अंकित करते हुए का० अ० ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मोतिहारी से अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति की मांग की गयी, कि संवेदक द्वारा विषयांकित निविदा में Scan कर Upload किया गया कागजात से संबंधित Tender File किसी कारण से Corrupt हो जाने के कारण Uploaded कागजात उपलब्ध नही हो पा रहा है।

Black Listing के विरूद्ध संवेदक द्वारा प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के समक्ष अपील दायर किया गया, जिसके आलोक में संचिका प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थापित किये जाने पर संवेदक द्वारा निविदा के दौरान Uploaded Document की जानकारी बेल्ट्रॉन से प्राप्त किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ। उक्त के क्रम में बेल्ट्रॉन द्वारा पत्रांक– 2181/19 दिनांक 26.03.2019 द्वारा सूचित किया गया कि निविदा संबंधित सभी दस्तावेज/कागजात संबंधित निविदा आमंत्रण पदाधिकारी के ही Login पर उपलब्ध होता है, जिसे View /Downlaod करने का अधिकार केवल उन्ही के पास होता है, जिसके कारण उक्त पदाधिकारी द्वारा ही Document download किया जा सकता है। उक्त स्थिति में अंततः बेल्ट्रॉन द्वारा बताया गया कि वांछित document उपलब्ध कराना संभव नही है।

विषयांकित मामले में दिनांक 30.04.2019 को संवेदक के साथ सुनवाई के पश्चात् प्रधान सचिव द्वारा संवेदक के तथ्यालोक में संवेदक के दिये गये दण्ड को असमानुपातिक बताते हुए इस पर पुनः विचार करने हेतु मामले को अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव को रिमांड किया गया।

उक्त के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रमाणिक साक्ष्य के आभाव में

संवेदक संजीव कुमार द्विवेदी, द्विवेदी सदन, न्यू गोपालपुर, मोतिहारी (नि०स०–अ०प्र० / श्रेणी –02 (द्वितीय)–464 / 2013 पथ) के Black Listing के दण्ड से संबंधित विभागीय आदेश ज्ञापांक 41(ई०) दिनांक 02.01.2019 को निरस्त किया जाता है।

ह० / –

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक –प्र०–07 / विविध (कार्य०) –49 / 2016– / पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– संजीव कुमार द्विवेदी, द्विवेदी सदन, न्यू गोपालपुर, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, प०नि०वि० / प्रधान सचिव / सचिव / आयुक्त, भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / उर्जा विभाग / नगर विकास विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक –प्र०–07 / विविध (कार्य०) –49 / 2016– / पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता (रा० उ० प० उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (रा० उ० प० अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (रा० उ० प० प्रमंडल सहित), प०नि०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक –प्र०–07 / विविध (कार्य०) –49 / 2016– 4160(E) / पटना, दिनांक 28/5/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), प०नि०वि०, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

28/5/19

लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

C:\Users\123\Desktop\new letter of section.docx